रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2007/वैशाख 24, 1929
No. 558] NEW DELHI, MONDAY, MAY 14 2007/VAISAKHA 24, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2007

का.आ. 752(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 374(अ) तारीख 15 मार्च, 2007 द्वारा, उस अधिसूचना से संलगन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य में दहेज-हजीरा-उरान एवं स्पर पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 9 अप्रैल, 2007 तक उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि में पाइपलाईनें बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पाइपलाईनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, पाइपलाईनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहीत होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	गांव	सर्वे नं.	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षे. (हेक्ट. में)
1	2	3	4	5
सुरत	चोयांसी	उंबेर	197	2.8000
			117	0.9600
			10	2.5600
			533	1.8400
			230	0.8500
सुरत	सुरत सिटी	गभेणी	485	4.5500
सुरत	सुरत सिटी	बुड़ीया	305	3.5000
सुरत	सुरत सिटी	जीयाव	246	3.4980

[फा. सं. एल-14014/12/2006-जी.पी. (भाग-VIII)]

एस. बी. मण्डल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11May, 2007

S.O. 752(E).—Whereas, by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natual Gas, number S.O..374(E) dated 15th March 2007, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right in Users in land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transport of natural gas through Dahej-Hazira-Uran and its spur pipelines in the State of Gujarat by GAIL (India) Limited;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 9th April, 2007;

And, whereas, no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under of Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the Right to User in the lands specified in the Schedule;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest, on this date of publication of this declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tahsil	Village	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hect.)
1	2	3	4	5
Surat	Choryasi	Umber	197	2.8000
			117	0.9600
			10	2.5600
			533	1.8400
			230	0.8500
Surat	Surat City	Gabheni	485	4.5500
Surat	Surat City	Budia	305	3.5000
Surat	Surat City	Jiyav	246	3.4980

[F. No. L-14014/12/2006-G.P. (Part-VIII)]

S. B. MANDAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.